मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक 9282 लेखा/22/वि–12/ग्रासप्रा/16/ भोपाल, दिनांक 02/04/2016

प्रति,

महाप्रबंधक/लेखाधिकारी,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
समस्त परियोजना कियान्वयन इकाई,
मध्यप्रदेश।

विषयः– विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी सिद्धांत।

विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा किराये पर लिये जाने वाले वाहन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत प्रभावी किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नियम/निर्देश प्राधिकरण की इकाईयों पर भी यथावत लागू होंगे। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 06.10.12, 24.12.13 एवं 14.01.16 की प्रति संलग्न है। इन निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि इकाईयों में जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिये जा रहे है ऐसे अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड वेतन के आधार पर एवं वाहन की अधिकतम लागत सीमा के आधार पर वाहन की पात्रता निर्धारित की गई है। अतः तद्नुसार लागत का वाहन किराये पर लिया जाना सुनिश्चित करें। यह भी उल्लेखनीय है कि किराये पर अनुबंधित वाहन जिस अधिकारी विशेष को आवंटित है उस अधिकारी से शासकीय वाहन की प्रकिया अनुसार मासिक शुल्क की कटौती भी प्रतिमाह की जानी है।

उपरोक्त निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

2/4/2016

मुख्य महाप्रबंधक, (समन्वय)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ.क.9283 लेखा/22/वि–12/ग्रासविप्रा/16 भोपाल, दिनांक 02/04/2016

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक इन्दौर/रीवा/जबलपुर/भोपाल, मध्यप्रदेश।

2/4/2016

मुख्य महाप्रबंधक, (समन्वय)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल</u>

क्रमांकः एफ 11-16/2012/नियम/चार भोपाल,दिनांक 14/1/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभिन्न विभागों /कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी सिद्धान्त ।

संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 6-10-2012 एवं दिनांक 24-12-2013.

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित ज्ञाप दिनांक 6-10-2012 एवं 24-12-2013 द्वारा विभिन्न विभागों /कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं । इन निर्देशों में निम्नांकित प्रावधान और जोड़े जाते हैं :-

(अ) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 6-10-2012 तथा इसके क्रम में जारी अन्य निर्देश यथावत राज्य शासन के निगम, मण्डल में भी प्रभावी होगें ।

(ब) किराए से अनुबंधित वाहन जो कि अधिकारी विशेष को आवंटित है, से शासकीय वाहन की प्रक्रियानुसार मासिक शुल्क की कटौती की जाएगी ।

2/ उपर्युक्त प्रावधान तत्काल प्रभावशील होगें ।

3/ कृपया अधीनस्थ संस्थानों को निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA//Rule2016/Transport/

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

संदर्भ- वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमाक एफ 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26-10-2007

--•••--

शासकीय कार्यों के संदर्भ में विभिन्न विभागों / कार्यालयों द्वारा विभाग में वाहनों की कमी के चलते, मासिक आधार पर, वाहन किराये पर ली जाती हैं । मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शासकीय धन के उचित उपयोग एवं एकरूपता की दृष्टि से संदर्भित निर्देश प्रसारित किए गये हैं । शासन के ध्यान में आया है कि शासकीय कार्य हेतु निजी वाहन किराये पर लिए जाने पर विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा अलग- अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

2/ अतः वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमाक एफ 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26-10-2007 को निरस्त करते हुये शासकीय कार्यों के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्न लिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

(1) वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्त विभाग द्वारा दी जावेगी । वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी ।

(2) वाहन किराये पर लेने हेतु मासिक दरें नियमानुसार, सेवाकर (Service Tax) हेतु पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं से, निविदा आमंत्रित कर निर्धारित की जानी चाहिए । सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित

संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना, प्रचलित नियमों में अनुमत्य है । किराये पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर निविदा के माध्यम से ही ऑफर्स प्राप्त किये जाने चाहिये ।

(3) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिए जाए।

(4) जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिये जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड पे के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :-

(i).₹ 5400 एवं ₹ 6600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 3.5 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।

(ii).₹ 7600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 4.25 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।

(iii).₹ 8700 एवं ₹ 8900 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 6.50 लाख (Ex-show room price) तक होगी।

(iv).₹ 10,000 ग्रेड पे पाने वाले एवं ₹ 67,000-79,000 उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 7.50 लाख (Ex-show room price) तक् होगी ।

(5) मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाए । इस हेतु प्रतिदिन किराये के वाहन की उपलब्धता हेतु समय भी निर्धारित किया जा सकता है, जो 12 घंटे से अधिक न हो । वाहन किराये के फिक्स्ड चार्जेज निर्धारित किए जाना चाहिए ।

(6) किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु वेरिएवल चार्ज (variable charge per km. charge) पृथक- पृथक प्राप्त करना चाहिए ।

(7) सामान्यतः शासकीय कार्य से यात्रा करने पर लोक-वाहक से ही यात्रा की जाना चाहिये परंतु अपरिहार्य स्थिति में किराये की गाड़ी का उपयोग करने की स्थिति में इसका अनुमोदन नियंत्रण अधिकारी से होना अनिवार्य होगा । इस हेतु नियंत्रण अधिकारी को कारण सहित किराये की गाड़ी से मुख्यालय के बाहर यात्रा करने के आदेश जारी करने होंगे । ऐसी स्थिति में कंडिका 6 में दर्शाये अनुसार वेरियबल चार्ज अनुसार भुगतान किया जा सकेगा ।

(8) प्राप्त निविदाओं का विश्लेषण एवं मूल्याकंन (analysis and evaluation) फिक्सड़ चार्जेस (Fixed charges), वेरिएबल चार्जेस (variable charges),

मुख्यालय के बाहर की यात्राओं हेतु अनुमानित निर्धारित औसत दूरी आदि कारकों (Factors) के आधार पर किया जाये एवं तदनुसार सफल निविदाकारों को क्रमबद्ध किया जाए ताकि वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु उपयुक्त एवं सही दरें निर्धारित हो सकें ।

(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (responsive tenders) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकार का चयन किया जाय ।

(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) भी विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायें ।

(11) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा । इस आदेश के जारी होने के पूर्व तत्समय जारी निर्देशों/शर्तों के अनुसार कार्यालयों द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों के संबंध में पूर्व निर्देश/शर्तें ही संविदा अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार . भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ।
संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 6-10-2012 .

--•••--

संदर्भित ज्ञाप द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी जारी मार्गदर्शी निदेशों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए एतद् द्वारा निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं :-

कंडिका 2(1) वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्त विभाग द्वारा दी जावेगी । वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा की जा सकेगी।

कंडिका 2(4) जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिये जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड वेतन के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :-

क्रं.	मूल पद का ग्रेड वेतन	वाहन की अधिकतम लागत सीमा
1.	₹ 7600 तक	₹ 5.50 लाख
2.	₹ 8700 एवं ₹ 8900	₹ 6.50 लाख
3.	₹ 10000 एवं एच.ए.जी. वेतनमान	₹ 7.50 लाख

कंडिका 2(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (responsive tenders) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकार का चयन किया जाये ।

कंडिका 2(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) भी विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

2/ कंडिका 2(4) अनुसार पुनरीक्षित सीमायें वर्तमान संविदा अवधि समाप्ति के पश्चात ही प्रभावी होगी ।

3/ कंडिका-2(4) में प्रस्तावित सीमायें अधिकतम राशि का वाहन किराये पर लिये जाने से संबंधित है। यह कंडिका वाहन किराये पर लेने की अधिकारिता प्रदान नहीं करती ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग